भारत सरकार,	**Government of India,**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,	**Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,**
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,	**Dept. of Training and Personnel,**
कर्मचारी चयन आयोग,	**Staff Selection Commission**
ब्लॉक स० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,	**Block No. 12, CGO Complex,**
लोधी रोड, नईदिल्ली – 110003	**Lodhi Road, New Delhi – 110003**

[आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 22-09-2025 को अपलोड किया जाए]

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस में पुरूष और महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2025

ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने की तिथि	22-09-2025 से 21-10-2025
ऑनलाइन आवेदनपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	21-10-2025 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	22-10-2025 (23:00 बजे)
'ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	29-10-2025 से 31-10-2025 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम	दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026
ऑनलाइन आवेदनपत्र को भरते समय किसी प्रकार की समस्या होने पर कॉल हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर	180 030 930 63

''सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है''

फा.सं.HQ-C-3020/2/2025-C-3: दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में पुरूष और महिला कांस्टेबल (का.) की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यह पद

बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1.1 परीक्षा का विज्ञप्ति दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

1.2 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही आयोजित की जाएगी।

1.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के परिणाम की घोषणा के पश्चात शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित की जाएगी और दिल्ली में आयोजित की जाएगी । शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण अर्हक प्रकृति की है।

1.5 शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी)/ दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों से पात्रता प्रमाणपत्र / दस्तावेज लिए जाएंगे और मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनका सत्यापन किया जाएगा।

1.6 शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) और परीक्षा की विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा की जाएगी ।

1.7 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन, उत्तर कुंजियों, परिणाम की घोषणा तथा योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई / लोक शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी ।

1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, उत्तर कुंजियों, शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) में बैठने हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्ट करने और अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियें के अंतिम परिणाम तैयार करने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दिल्ली में दायर किए गए न्यायिक मामलों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। इन विषयों पर दायर दिल्ली के बाहरी /अन्य क्षेत्रों के न्यायिक मामलों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।

1.9 अन्य सभी मुद्दों, जैसे- परीक्षा की रूप-रेखा, रिक्तियां, शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) के आयोजन , दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आदि से संबंधित न्यायिक मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) से संबंधित शिकायत, यदि कोई हो, को अभ्यर्थी द्वारा दिल्ली पुलिस के भर्ती बोर्ड के समक्ष उसी दिन उठाई जाएगी; तत्पश्चात, किसी भी अभ्यावेदन पर दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

2. **वेतनमान:** वेतन स्तर-3 (21700 -69100/- रुपए) (ग्रुप 'ग')

3. संभावित रिक्तियां : संभावित रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	**पद-नाम**	**रिक्तियों की संख्या**					
		अना.	**आकव**	**अपिव**	**अजा**	**अजजा**	**कुल**
1	कांस्टेबल (कार्यकारी)-पुरूष	1914	456	967	729	342	4408
2	कांस्टेबल (कार्यकारी)-पुरूष [भूपूसै (अन्य)]	107	26	54	62	36	285
3	कांस्टेबल (कार्यकारी)- पुरूष [भूपूसै (कमांडों)]	106	25	56	138	51	376
4	कांस्टेबल (कार्यकारी)- महिला	1047	249	531	457	212	2496
	कुल रिक्तियां	**3174**	**756**	**1608**	**1386**	**641**	**7565**

नोट: रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों का पृथक्करण, बैक्लॉग रिक्तियों, कुल रिक्तियों को निर्धारित करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

3.1 कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष की प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के इस 10% कोटे में से आधा कोटा अर्थात ऐसे कोटे का 50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं :

3.1.1 विशेष बल/एनएसजी (विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो; या

3.1.2 कमांडों कोर्स में क्यूआई 'अर्हता प्राप्त अनुदेशक' ग्रेडिंग प्राप्त की हो।

3.1.3 नौसेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने कमांडों प्रकार की यूनिट में कार्य किया हो।

टिप्पणी-1: भूतपूर्व सैनिकों के सबंध में आरक्षण विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 1980/2014-पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम पवन सिंह एवं अन्य और 1985/2014- पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम देवीराम एवं अन्य के परिणाम के अध्यधीन है।

टिप्पणी-2: केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3.2 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसरण में अभ्यर्थियों का चयन करेगा। रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति के क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 'रिजर्व पैनल' तथा रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के कार्यक्षेत्र के अधीन है।

4. राष्ट्रीयता / नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5. आयु सीमा: दिनांक 01.07.2025 को 18 से 25 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 02-07-2000 से पहले और 01-07-2007 के बाद न हुआ हो।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु/आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**
01	अजा / अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
20	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। (अजा/अजजा के अलावा) (खेलों की सूची **अनुबंध-X** पर है)	05 वर्ष
21	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। (अजा/अजजा) (खेलों की सूची **अनुबंध-X** पर है)	10 वर्ष
22	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित/आकव)जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	40 वर्ष तक
23	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	43 वर्ष तक
24	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो।	45 वर्ष तक
25	सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस के कार्मिकों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्र एवं पुत्रियां	29 वर्ष तक
26	भूतपूर्व सैनिक (अना / आकव)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
27	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3 वर्ष + 03

		वर्ष)
28	भूतपूर्व सैनिक (अजा / अजजा)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष (03 वर्ष + 05 वर्ष)
29	विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (ऐसे दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी)।	05 वर्ष

5.2 आयोग द्वारा आयु को निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई उसी जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा जो उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.3 अजा / अजजा / अपिव / पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को दोहरी छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। वे या तो अपनी श्रेणी में छूट का लाभ उठा सकते हैं या दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्ड के रूप में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

5.4 आयु, ऊंचाई / सीने और शैक्षिक योग्यता में छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों तक विस्तारित की जाएगी जिन्हें बर्खास्तगी / निष्कासन / समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।

5.5 'विभागीय अभ्यर्थी' से अभिप्राय है बैंडमैन, बिगुलर, घुडसवार कांस्टेबल, डिस्पेच राइडर, ड्राइवर, डॉग हैंडलर, और दिल्ली पुलिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसने ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को दिल्ली पुलिस में तीन साल की सतत सेवा की हो और जो सभी शैक्षिक और अन्य शारीरिक योग्यताएं भी पूरी करता हो।

5.6 भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें केंद्रीय राजस्व से वेतन मिलता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कांस्टेबल के रूप में फिर से भर्ती होने के योग्य हैं, यदि उनके सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र पर पूर्व सेवा को अच्छा या उच्चतर वर्गीकरण / ग्रेडिंग के रूप में दिखाया गया है, बशर्ते कि:

5.6.1 उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर सशस्त्र सेवाओं से सेवानिवृत्ति दी गई है।

5.6.2 वे खुली भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हैं, और निर्धारित रूप से क्षमता / दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं।

5.6.3 वे भर्ती के निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हैं।

5.7 भूतपूर्व सैनिक (ई एस म), जिन्होंने केन्द्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त शासी निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग'/'घ' पदों में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में यथा निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता है/करती है/ वचन देता है/ देती है। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन्हीं रिक्तियों के संदर्भ में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और जब आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू होगा ।

5.8 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.9 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर "भूतपूर्व-सैनिक" की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सेवा की निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने से एक साल पहले पुन: रोजगार के लिए आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं करते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

5.10 ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय विभाग द्वारा जारी **'अनापत्ति प्रमाणपत्र'** जमा करना आवश्यक होगा, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी निवृत्ति की तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति की तिथि / निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा प्राप्त करना होगा।

5.11 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे उन पदों के लिए नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा ।

5.12 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / आरक्षण अनुमत्य नहीं है। अत:, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भू.पू.सै. नहीं लिखना चाहिए ।**

5.13 **स्पष्टीकरण:** एक 'भूतपूर्व सैनिक' से आशय उस व्यक्ति से है-

5.13.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ / हुई हो; या

(ii) जिसकी सेवा निवृत्ति पंजिका में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित हो**;** या

(iii) जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार पर या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किया गया है और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

(iv) जिसे अपने अनुरोध से अन्यथा कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद**,** अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी शामिल हैं, नामत:

क. निरंतर सन्निहित सेवा के पेंशन धारक,
ख. सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग व्यक्ति; तथा
ग. वीरता पुरस्कार विजेता

5.13.2 तथापि, प्रादेशिक सेना के कार्मिक दिनांक 15-11-1986 से भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारुप:

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं अथवा आयु में छूट चाहते हैं, जब दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी)/ दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाणपत्र मांगा जाए उन्हें विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/ ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके नाम पर केवल उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात अजा / अजजा / अपिव / आकव / अना. में विचार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारुप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।

6.2 अपिव श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक अपिव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। 'निर्णायक तारीख' से तात्पर्य है कि अभ्यर्थी इस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंध रखता हो; यह प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

6.3 आकव श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले और आकव आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के का.ज्ञा.सं. 36039/1/2019-स्था.(रेस.) के अनुकूल **अनुबंध-VIII** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किया गया वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

6.4 अजा / अजजा श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्णायक तिथि को पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति / सामुदायिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। । "निर्णायक तिथि" का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

7. **अनिवार्य अर्हताएं (दिनांक 21-10-2025, अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)**

7.1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्डसे 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) । शैक्षिक योग्यता में निम्नलिखित को 11वीं पास होने की छूट दी गई है ।

7.1.1 सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत दिल्ली पुलिस कार्मिकों / दिल्ली पुलिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्र / पुत्रियां और

7.1.2 केवल दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बिगुलर, घुड़सवार कांस्टेबल, डिस्पेच राइडर आदि।

7.2 पुरूष अभ्यर्थियों के पास पीईएंडएमटी की तिथि को **एलएमवी** (मोटरसाइकिल या कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। **शिक्षार्थी लाइसेंस** स्वीकार्य नही है।

7.3 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे आवेदन न करें।

7.4 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति (ODL) के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) से अनुमोदन प्राप्त हो। तथापि, ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिएं जब अभ्यर्थी द्वारा वह हासिल की गई हो।

7.5 भारत के राजपत्र में दिनांक 23.06.2017-को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-।।। (8)(v) के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकत्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं हैं। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इग्नू द्वारा प्रदान किया गया बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।

7.6 जिन अभ्यर्थियों शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण के लिए शार्टलिस्ट किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को **अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हासिल करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे - अंक तालिका, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि संगत प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।**

7.7 **एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन**: एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन निम्नलिखित मानों में दिया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

टिप्पणी:

(i) शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी)/ दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ii) इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

7.8 **अतिरिक्त अंकों का लाभ** : राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा, जोकि निम्नलिखित स्तरों पर होगा:

डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	**अतिरिक्त अंक**

विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4%
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
उत्तीर्ण श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट:

(i) इसका लाभ पीईएंडएमटी/ दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर (सत्यापन के अधीन) ही प्रदान किया जाएगा।

(ii) इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

8. आवेदन का तरीका:

8.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा। पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के पश्चात, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। विस्तृत निर्देश के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के **अनुबंध-I और अनुबंध-II** का संदर्भ लें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र **अनुबंध-Iक** और **अनुबंध-IIक** के रूप में संलग्न है।

8.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाईट (http://ssc.gov.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा **'mySSC'** मोबाईल एप्लीकेशन (जोकि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** और साथ ही, आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल एप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 की सूचना का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र **अनुबंध- Iक और अनुबंध- IIक** के रूप में संलग्न है।

8.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों

को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले से लिया गया फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की रियल-टाइम फोटो ली जा सके । अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा:-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III(4/4)** में दिए गए हैं।

8.5 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

8.6 अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8.7 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय 21.10.2025 (23:00 बजे तक) है।

8.8 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**

8.9 यदि अभ्यर्थी उक्त कारणों या किसी अन्य कारण से जो आयोग के नियंत्रण से परे है, अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी क्षेत्रों/भागों में सही विवरण भरा है। उन्हे यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें।

8.11 अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी दी है।

9. **ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क और भुगतान करने का तरीका**:

9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.4 अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन मोड के जरिए ही शुल्क का भुगतान दिनांक **22-10-2025 (23:00 बजे)** तक कर सकते हैं। किसी अन्य मोड से शुल्क भुगतान का कोई और विकल्प नहीं हैं।

9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से मुक्त नहीं रखा गया है, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति **'अपूर्ण'** दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए **"भुगतान की स्थिति"** लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा** और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.7 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।

9.8 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी समस्या, अभ्यर्थी के लॉगिन पोर्टल पर फीडबैक के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।

10. ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो [29-10-2025 से 31-10-2025 (23:00 बजे)]:

10.1 आयोग, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 आयोग पहली बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक-समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक-समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

10.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.8 संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। **' ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**

11. परीक्षा केंद्र:

11.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को अवश्य इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता / चाहती है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008),कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203).	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/** बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज, - 211 001. **(http://www.ssc-cr.org)**
2.	श्री विजयपुरम (4802), धनबाद	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** /	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे),

	((4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/ हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सिउड़ी (4416), धेंकनाल (4611).	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 (**www.sscer.org**)
3.	बेलागवी (9002), बेंगलूरू(9001), हुबली (9011), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडूपी (9012), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कवरत्ती (9401).	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरू, कर्नाटक-560034 (**www.ssckkr.kar.nic.in**)
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006) , जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), बिलासपुर (6202) , रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205).	**मध्य प्रदेश (म.प्रे.क्षे.)** / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5.	ईटानगर (5001) , डिब्रूगढ़ (5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), चूड़ाचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइज़ॉल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601).	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो क्षे.)** / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (**www.sscner.org.in**
6.	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002) , हल्द्वानी (2003), रुड़की	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)** / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

	(2006).		(www.sscnr.nic.in)
7.	चण्डीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405).	**पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 **(www.sscnwr.org)**
8.	चिराला (8011), गुंटूर (8001) , काकीनाड़ा (8009), कर्नूल (8003) , नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरू (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201) , कोयंबटूर (8202) , मदुरै (8204) , सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद / सिकंदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603), ओंगोल (8014), सिद्दीपेट (3206), तुतुकुड़ी (3210), करूर (3203).	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **(www.sscsr.gov.in)**
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद/ गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201) , छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204) , नागपुर (7205) , नांदेड (7206) , नासिक (7202), पुणे (7208),	**पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र)** / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 **(www.sscwr.net)**

11.2 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने होने हेतु, प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों (देश में कहीं भी) के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केंद्र का चयन ध्यान से करें और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसे ठीक से इंगित करें।

11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग उपरोक्त पैरा 12.1 में दी गई सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र को शामिल करने या उक्त सूची में से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. परीक्षा की रूपरेखा

12.1 परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) शामिल होंगे, इसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी।

12.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा यदि कई पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा वेबसाईट पर दिनांक 02-06-2025 की विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित फार्मूले का उपयोग कर सामान्यीकृत किया जाएगा और इन सामान्यीकृत अंकों का उपयोग परीक्षा की अंतिम योग्यता सूची और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने हेतु किया जाएगा ।

12.3 विज्ञप्ति में इंगित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन का कार्यक्रम अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा : कंप्यूटर आधारित परीक्षा में **एक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार** का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों के 100 प्रश्न** होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत अवधि/ समय
भाग- क	सामान्य ज्ञान/ समसामयिक विषय	50	50	90 मिनट
भाग- ख	तर्कशक्ति	25	25	
भाग- ग	संख्यात्मक योग्यता	15	15	
भाग- घ	कंम्पयूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्यूनिकेशन, इंटरनेट, डब्लू डब्लू डब्लू और वेब ब्राउजर आदि	10	10	

12.4 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें ।

12.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

12.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो आयोग द्वारा दिए समय सीमा के भीतर, प्रति प्रश्न 50 रुपए, जो अप्रतिदेय है, का ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों के संबंध में किसी अन्य माध्यम अर्थात पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.7. अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम को तैयार करने के लिए किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी, अंक सहित आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध किए जाएंगे।

12.8 विज्ञप्ति में दर्शाया गया परीक्षा कार्यक्रम अस्थायी/अनंतिम है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

12.9 परीक्षा के किसी भी चरण/ प्रश्नपत्र (पत्रों)/ के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

12.10.1 **सामान्य ज्ञान / समसामयिक विषय** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पडोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य–व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

12.10.2 **तर्कशक्ति**: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

12.10.3 **संख्यात्मक योग्यता**: इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात

और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

12.10.4 **कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर आदि**: वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ लेखन, पाठ का प्रारूपण करना और इसे प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएं) संबंधी तत्व। एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल का संपादन, फंक्शन और फॉर्मूले, संचार (ई-मेल की मूल बातें, ईमेल भेजना और प्राप्त करना और इससे संबधित कार्य। इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग)।

12.11 प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा।

12.12 **शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण (पीईएंडएमटी)** : शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण के मानक निम्नानुसार हैं:

12.13 **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा** : भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	**दौड़: 1600 मीटर**	**लम्बी कूद**	**ऊँची कूद**
30 वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3' 9 "
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	7 मिनट	13 फीट	3' 6 "
40 वर्ष से ऊपर	8 मिनट	12 फीट	3' 3 "

12.14 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़/ लंबी कूद/ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

12.15 **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक** :

12.15.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक निम्न प्रकार हैं:

12.15.2. **ऊंचाई** : न्यूनतम 170 सेमी, इसमें छूट निम्न प्रकार है:

12.15.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा , डोगरा , मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 05 सेमी । (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुबंध - IX** के रूप में संलग्न है।

12.15.2.2 अजजा अभ्यर्थियों के लिए 05 सेमी।

12.15.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के मामले में 05 सेमी।

12.15.3 **सीना**: 04 सेमी विस्तार के साथ न्यूनतम 81 सेमी (अर्थात 81 - 85 सेमी), इसमें निम्नलिखित छूट दी गई है:

12.15.3.1 उपर्युक्त पैरा -12.15.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 05 सेमी ।

12.15.3.2 अजजा अभ्यर्थियों के लिए 05 सेमी।

12.15.3.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के मामले में 05 सेमी।

12.16 **महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा** : विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	**दौड़ : 1600 मीटर**	**लम्बी कूद**	**ऊँची कूद**
30 वर्ष तक	8 मिनट	10 फीट	3 '
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	9 मिनट	09 फीट	2' 9 "
40 साल से ऊपर	10 मिनट	08 फीट	2' 6 "

12.17 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे । अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में से उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को

पार करना है। दौड़/ लंबी कूद/ ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

12.18 "महिला अभ्यर्थी, जो पीई एंड एमटी के समय या तो गर्भवती हैं, या एक बच्चे को जन्म दिया है या गर्भपात हो गया है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हे प्रसूति समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा। प्रसव की अवधि निम्नानुसार होगी :-

i) बच्चे के जन्म की तिथि से छह (06) महीने तक,

ii) गर्भपात की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों तक।

यदि उसे पीई एंड एमटी के दौरान अर्हक घोषित किया जाता है, उसका परिणाम मेरिट के अनुसार परीक्षा में घोषित किया जाएगा। उन्हें आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाएगी।

12.19 **महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक** :

12.19.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षण की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक निम्न प्रकार हैं:

12.19.2. **ऊंचाई** : न्यूनतम 157 सेमी, इसमें छूट निम्न प्रकार है:

12.19.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी , गोरखा , डोगरा , मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 02 सेमी। (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुबंध-IX** के रूप में संलग्न है।

12.19.2.2 अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए 02 सेमी।

12.19.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ की पुत्रियों के मामले में 05 सेमी।

12.20 उपर्युक्त ऊंचाई और सीने में छूट (यथा प्रयोज्य), केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुज्ञेय होगी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संबन्धित कॉलम में अपने श्रेणी के अंतर्गत छूट की मांग की है और शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं।

12.21 वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानक, अर्थात ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के नामित अपीलीय प्राधिकारी को उसी

दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा में अपील नहीं की जा सकती है।

12.22 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण तथा चिकित्सा परीक्षा करने का दायित्व एकमात्र दिल्ली पुलिस का ही है। आयोग पीई एंड एमटी /चिकित्सा परीक्षा के निर्णय के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन /अपील / आरटीआई / सीपीजीआरएमएस को स्वीकार नहीं करेगा।

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा की शारीरिक क्षमता परीक्षा और माप परीक्षण (पीई एंड एमटी) में पहले भाग ले चुका है और दौड़, ऊंची कूद अथवा लंबी कूद जैसी किसी भी स्पर्धा में अयोग्य पाया गया है, तो उसका वही परिणाम अंतिम माना जाएगा। यदि कोई अयोग्य अभ्यर्थी अपनी पूर्व सहभागिता अथवा अयोग्यता गुप्त रख पुनः परीक्षा में शामिल होता है और बाद में उत्तीर्ण हो जाता है तो शारीरिक क्षमता परीक्षा का मूल परिणाम मान्य होगा।

13. चिकित्सा मानक :

13.1 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और दोष / विकृति / बीमारी से मुक्त होना चाहिए, दोनों आँखों की दृष्टि चश्मे के बिना 6/12, रंग दृष्टिहीनता से मुक्त और सुधार के लिए चश्मा न लगाया जाता हो या दृश्य तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कराई गई हो। उसमें ऐसी काई विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के कुशल निवर्हन में बाधा पंहुचने की संभावना हो। इस संबध में किसी भी श्रेणी को कोई छूट अनुज्ञेय नहीं है।

13.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू स्वीकार्य हैं :

13.2.1 सामग्री - धार्मिक चिह्न या आकृति और नाम को प्रदर्शित करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है, की अनुमति होगी।

13.2.2 स्थान - शरीर के पारंपरिक स्थानों पर बने टैटू, जैसे- भुजाओं के अग्रभाग पर भीतरी ओर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता है या हाथों के ऊर्ध्व भाग पर अनुमति होगी।

13.2.3 आकार - शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के आकार से ¼ से कम आकार का होना चाहिए।

14. परीक्षा स्थल में प्रवेश:

14.1 सभी अभ्यर्थी, जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है,

उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा। तदनंतर, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा।

14.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पदों के लिए पात्र हैं। पीई एंड एमटी /दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। संवीक्षा करते समय यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया दावा सही नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग / दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम होगा।

14.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से दो सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्यौरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

14.7 **जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से कम से कम दो (2) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।** प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, **मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है,** लाना अनिवार्य है, जैसे:

14.7.1 मतदाता पहचान-पत्र,
14.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस,
14.7.3 पैन कार्ड,
14.7.4 पासपोर्ट,
14.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र

14.7.6 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)

14.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका

14.7.8 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो युक्त वैध पहचान पत्र।

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। **यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

14.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

14.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, **आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

14.11 पीईएंडएमटी में उपस्थित होने के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी वेबसाइट (अर्थात www.delhipolice.gov.in) पर अपलोड किए जाएंगे। पीईएंडएमटी के आयोजन हेतु अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

15. <u>दस्तावेज सत्यापन:</u>

15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जो पीई एंड एमटी (अर्थात दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) के सभी आयोजनों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 15.3 के उल्लिखितानुसार मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

15.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान यथाउल्लिखित पैरा 14.7 में सूचीबद्ध ककिए गए अनुसार दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य लाना होगा।

15.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

15.3.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र।

15.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

15.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष शैक्षिक योग्यता को समकक्ष शैक्षिक योग्यता होने का दावा करता है तो शैक्षिक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/ पत्र जिसमें उस प्राधिकारी का अंकन (संख्या और दिनांक सहित) हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है।

15.3.4 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (मोटरसाइकिल या कार)।

15.3.5 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

15.3.6 यदि लागू हो तो पहाड़ी क्षेत्र से संबधित प्रमाणपत्र (**अनुबंध- IX**)।

15.3.7 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै) के लिए:

15.3.7.1 **अनुबंध- IV(क) एवं IV(ख)** के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी का प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

15.3.7.2 **अनुबंध- V** के अनुसार वचनपत्र ।

15.3.7.3 कार्यमुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया गया है।

15.3.8 प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट की मांग करता है।

15.3.9 दिल्ली पुलिस कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्डों को जारी किया गया वार्ड प्रमाण पत्र (**अनुबंध- XIII**) , यदि लागू हो ।

15.3.10 यदि लागू हो तो खेल प्रमाणपत्र (**अनुबंध- XI या XII**)।

15.3.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के संबंध प्रमाण पत्र (**अनुबंध- XIV**), यदि लागू हो।

15.3.12 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

15.3.13 यदि लागू हो, एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी।

15.3.14 यदि लागू हो, आरआरयू प्रमाणपत्र ।

15.3.15 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

15.3.15.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.3.15.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति के मामले में तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.3.15.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;

15.3.15.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.3.16 पीई एंड एमटी/ दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16. चयन का तरीका:

16.1 चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

16.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही पाया जाएगा उन्हे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का संचालन सिर्फ कंप्यूटर आधारित प्रणाली में करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश-पत्र कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाईट अर्थात https://ssc.gov.in/ पर अपलोड किया जाएगा।

16.3 धुंधले/ बिना हस्ताक्षर/ लघु हस्ताक्षर, बिना शुल्क प्राप्त/ अधूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III (4/4)** दिए गए हैं। ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो स्वीकृत नमूनों के अनुसार नहीं ली गई है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पुनः अपनी फोटो खींचें। ऐसे सभी आवेदन जिसमें फोटो स्वीकृत नमूनों के अनुसार नहीं ली गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को खींची गई फोटो या हस्ताक्षर के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।** परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसकी फोटो लगाई गई है।

16.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में ली जाएगी।

16.5 नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंक (सामान्यीकृत) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण अर्थात पीई एंड एमटी में शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए अर्हक माना जाएगा।

16.5.1 अनारक्षित: 35

16.5.2 अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग:30

16.5.3 भूतपूर्व सैनिक :25

16.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार पीई एंड एमटी /दस्तावेज सत्यापन में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर पीईएंडएमटी / दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों के लगभग 12 गुणा होगी।

16.7 पीई एंड एमटी / दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनके वेबसाइट (अर्थात https://delhipolice.gov.in) पर जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा पीईएंडएमटी/ दस्तावेज सत्यापन सिर्फ दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

16.8 पीई एंड एमटी अनिवार्य लेकिन अर्हक प्रकृति के हैं।

16.9 पीई एंड एमटी के सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पीई एंड एमटी के समय किया जाएगा।

16.10 पीई एंड एमटी और दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

16.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, सभी वर्गों अर्थात अनारक्षित, अजा, अजजा, आर्थिक रूप से कमजोर एवं भूतपूर्व सैनिक में, प्रत्येक श्रेणी में, अभ्यर्थियों की एक अनंतिम चयन सूची, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी।

16.12 अजा, अजजा, अपिव और ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के वे अभ्यर्थी, जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनके स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, आपिव, एवं ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

16.13 अजा, अजजा, अपिव, ई.डब्ल्यू.एस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जो उनकी योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, लंबाई एवं छाती की माप, अनुभव या योग्यता,

अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने से ज्यादा होती है, जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अजा, अजजा, अपिव, ई.डब्ल्यू.एस और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिनती किया जाना हैं, में शामिल किया जाएगा। **जहां तक भू.पू.सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै के आयु से सैनिक सेवा कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट माना जाता है।**

16.14 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों का दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय समय पर संशोधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 नियम-9, 14(सी) और नियम-24 (परिशिष्ट) के अनुसार उनके चिकित्सा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न अस्पतालों के लिए अनुक्रमांक वार नामित करके चिकित्सा जांच किया जाएगा। चिकित्सा जांच में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अर्हक माना जाएगा।

16.15 15% अभ्यर्थियों का 'आरक्षित पैनल' भी बनाया जाएगा और दिल्ली पुलिस को बंद लिफ़ाफ़े में दिया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'आरक्षित पैनल' को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/4/2022 के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित और अनुरक्षित किया जाएगा। आरक्षित पैनल/अतिरिक्त सूची का संचालन पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आयोग ' आरक्षित पैनल/अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

16.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। यदि, सत्यापन के समय, या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीईएंडएमटी एवं चिकित्सा जाँच से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति पत्र जारी होने/ कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

16.17 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.18 यदि परीक्षा की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

16.19 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह दिल्ली पुलिस से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे उसके बाद दिल्ली पुलिस से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

16.20 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं- एचआरडी/12/2025 के प्रावधानों को देखते हुए कानून के तहत विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामलों को, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों के समाप्त होने तक दिल्ली पुलिस द्वारा लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों पर समाप्त होने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा।

16.21 **परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।**

17. बराबरी के मामलों का निपटारा:

17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक एक समान होने पर, उन मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

17.1.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क के अंकों को देखकर।

17.1.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख के अंकों को देखकर।

17.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।

17.1.4 नामों के वर्णानुक्रम को देखकर।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाया जाता है तो इस परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उसे निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को	01-02 वर्ष

	देना।	
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	03 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या	07 वर्ष

	परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	
18	वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो और विभिन्न वैयक्तिक विवरणों जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमत: रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है	01-05 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. आयोग का अंतिम निर्णय:

19.1 पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

20.1 इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी: दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज सत्यापन या किसी अन्य समय, नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

4.	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (अर्थात https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा । ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-I में दिए गए हैं
5.	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) **नाम के प्रमाण** हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) **जन्म तिथि के प्रमाण** हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, (iii) **पते के प्रमाण** हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश। (iv) **फोटो** । (v) **लिंग के प्रमाण** हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।।
6.	दिल्ली पुलिस द्वारा पीईएंडएमटी/ दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेज़ एकत्र किए जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थिता अनंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अनिवार्य अपेक्षित अर्हताओं, आयु, शारीरिक मानक आदि को ध्यान से पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी) के समय दस्तावेज़ों की जांच के दौरान, यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा सही नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
7.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ भूपूसै या किसी अन्य छूट हेतु उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित लें कि वे इस ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। पीईएंडएमटी/डीवी के दौरान प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए । अन्यथा अजा/

	अजजा/ अपिव/ आकव आदि श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता /ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी ने किसी अन्य आयु-छूट की मांग की है और संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी, अर्थात अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/अनारक्षित में मानी जाएगी।
8.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषय-वस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी । अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। तथापि। दिल्ली पुलिस/आयोग को किसी भी स्तर पर 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंट जमा की जरूरत नहीं है।
9.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में, आयोग द्वारा सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता तथा परीक्षा (किसी भी स्तर पर) में एक से अधिक बार बैठता/बैठती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
10	निर्देशों के अनुसार न होने वाले, अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
11	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है । अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे । यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, निरस्त कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई फोटो अनुसार ही होनी चाहिए ।

	स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III (4/4)** दिए गए हैं। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। 3. अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें। 4. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।** **तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।**
12	आयोग, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा विज्ञप्ति के **पैरा-10** में दिए गए विवरणानुसार, निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।
13	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या ' ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

	14	अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि दिल्ली पुलिस/आयोग द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है
	15	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में नवीनतम दो पासपोर्ट आकार के फोटो और एक साक्ष्य, जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/ विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/उपक्रम), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भू.सै. सेवामुक्ति पुस्तिका, या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
	16	आयोग सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के आधार डेटा का उपयोग, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के अधीन, कर सकता है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का छद्मरूप धारण करने की कोशिश करने वाले लोगों के उदाहरण देखे गए हैं। चूँकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय तस्वीर लाइव खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर से अलग कोई बदलाव नहीं होना **चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल न होने देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार हो।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। **ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें खींची गई हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
	17	जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से कम से कम दो (2) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे: i. ड्राइविंग लाइसेंस, ii. पैन कार्ड, iii. पासपोर्ट, iv. विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र

	v. नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम) vi. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका vii. केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
18	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
19	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
20	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस विभाग से संपर्क करना चाहिए।
21	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक(भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
22	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।
23	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।

24	पीईएंडएमटी के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
25	शारीरिक माप परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती हैं।
26	परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विस्तृत परीक्षा के पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।
27	**पूछताछ कक्ष** \- किसी भी प्रश्न के लिए, अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस भर्ती कक्ष सहायता डेस्क, भर्ती कक्ष, न्यू पुलिस लाईन, किंगसवे कैंप, दिल्ली-110009 पर और निम्न दूरभाष नंबरों पर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 09.30 से शाम 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं:- 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)
22.09.2025

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

(क) एक बारगी पंजीकरण

(ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -क (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार पर आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे ।
4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज तैयार रखें:

    क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

    ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

    ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ को उपलब्ध कराना होगा ।)

    i. वोटर आईडी कार्ड

    ii. पैन

    iii. पासपोर्ट

    iv. ड्राइविंग लाइसेंस

    v. स्कूल/कॉलेज आई डी

    vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

5. एक बारगी पंजीकरण (OTR) के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात http://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or Register' बटन पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. व्यक्तिगत विवरण

ख. पासवर्ड बनाना

ग. अतिरिक्त विवरण

घ. घोषणा।

7. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (कॉलम) मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. **क्रम संख्या- 1:** आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. **क्रम संख्या- 2: अपना** नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. **क्रम संख्या- 3:** यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. **क्रम संख्या- 4:** अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

च. **क्रम संख्या- 5:** अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. **क्रम संख्या- 6:** अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. **क्रम संख्या- 7:** अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. **क्रम संख्या- 8 से क्रम संख्या- 10:** मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. **क्रम संख्या- 11:** शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. **क्रम संख्या- 12:** आपका मोबाइल नंबर । यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. **क्रम संख्या- 13:** आपका ईमेल आईडी । यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी । यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. अपने स्थायी पते के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण दें ।

ढ. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ण. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

त. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

<u>पासवर्ड बनाना</u>

थ. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

द. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

ध. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

न. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ऩ. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें । आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6 - 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'घोषणा' को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

र। 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

ऱ. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

8. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (OTR) के डाटा को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते, आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।

9. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉट्स

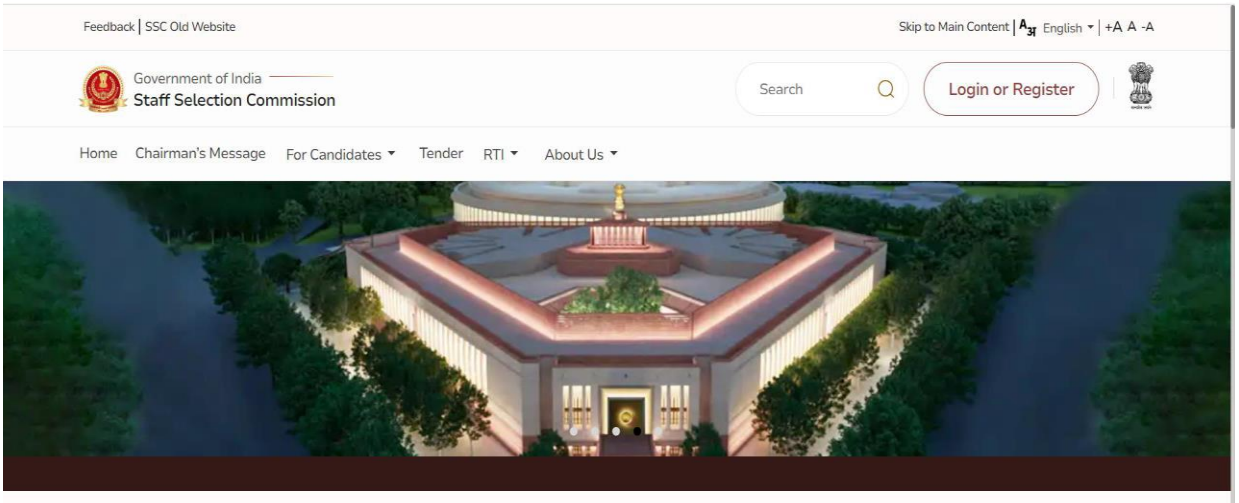

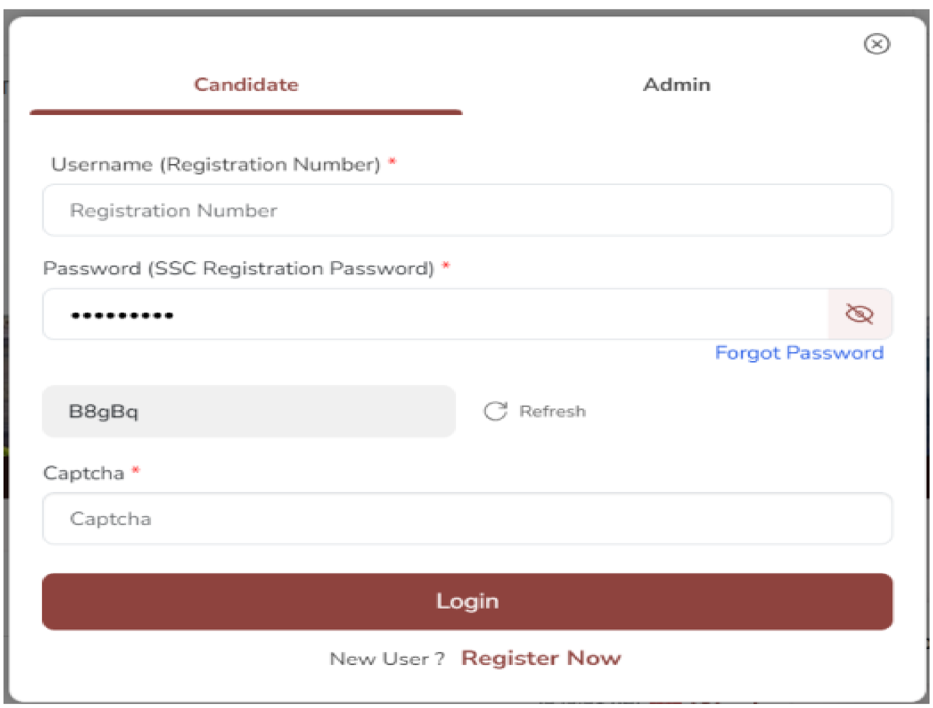

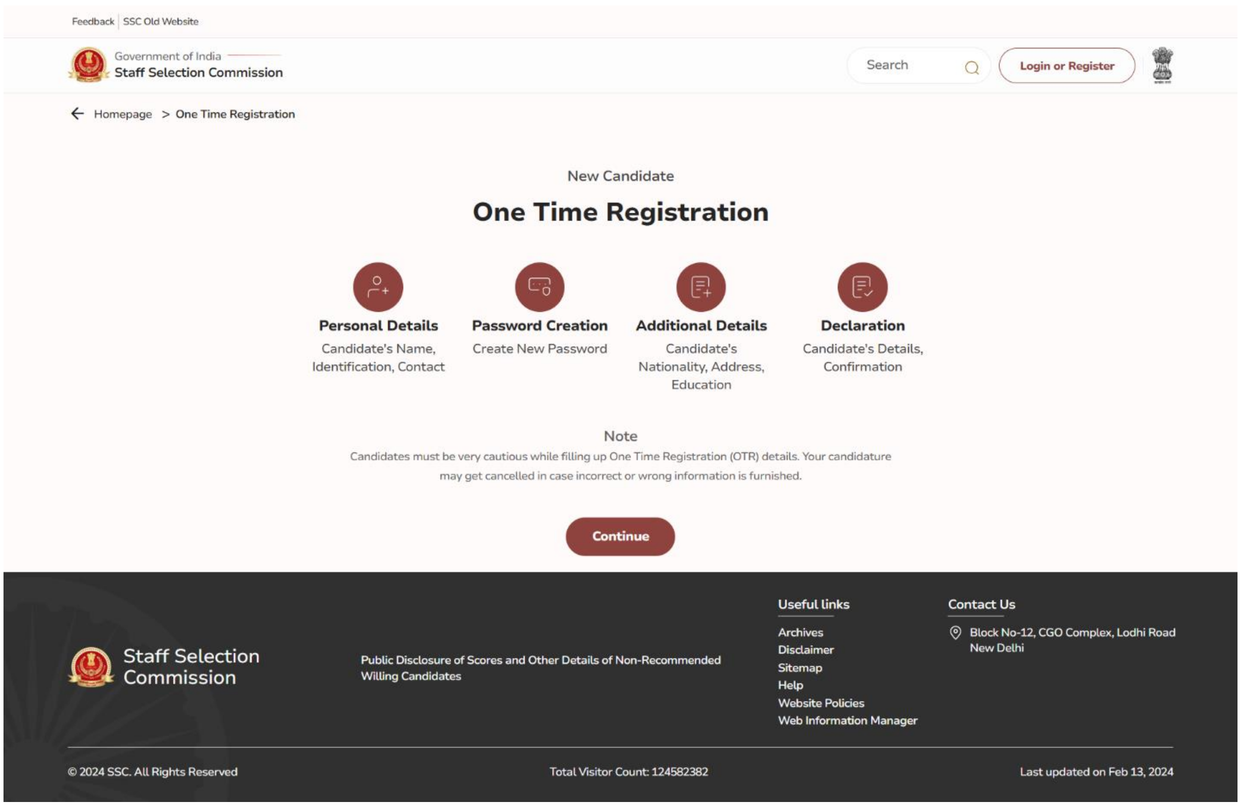
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Homepage > One Time Registration
New Candidate
One Time Registration
Personal Details
Candidate's Name, Identification, Contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's Nationality, Address, Education
Declaration
Candidate's Details, Confirmation
Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

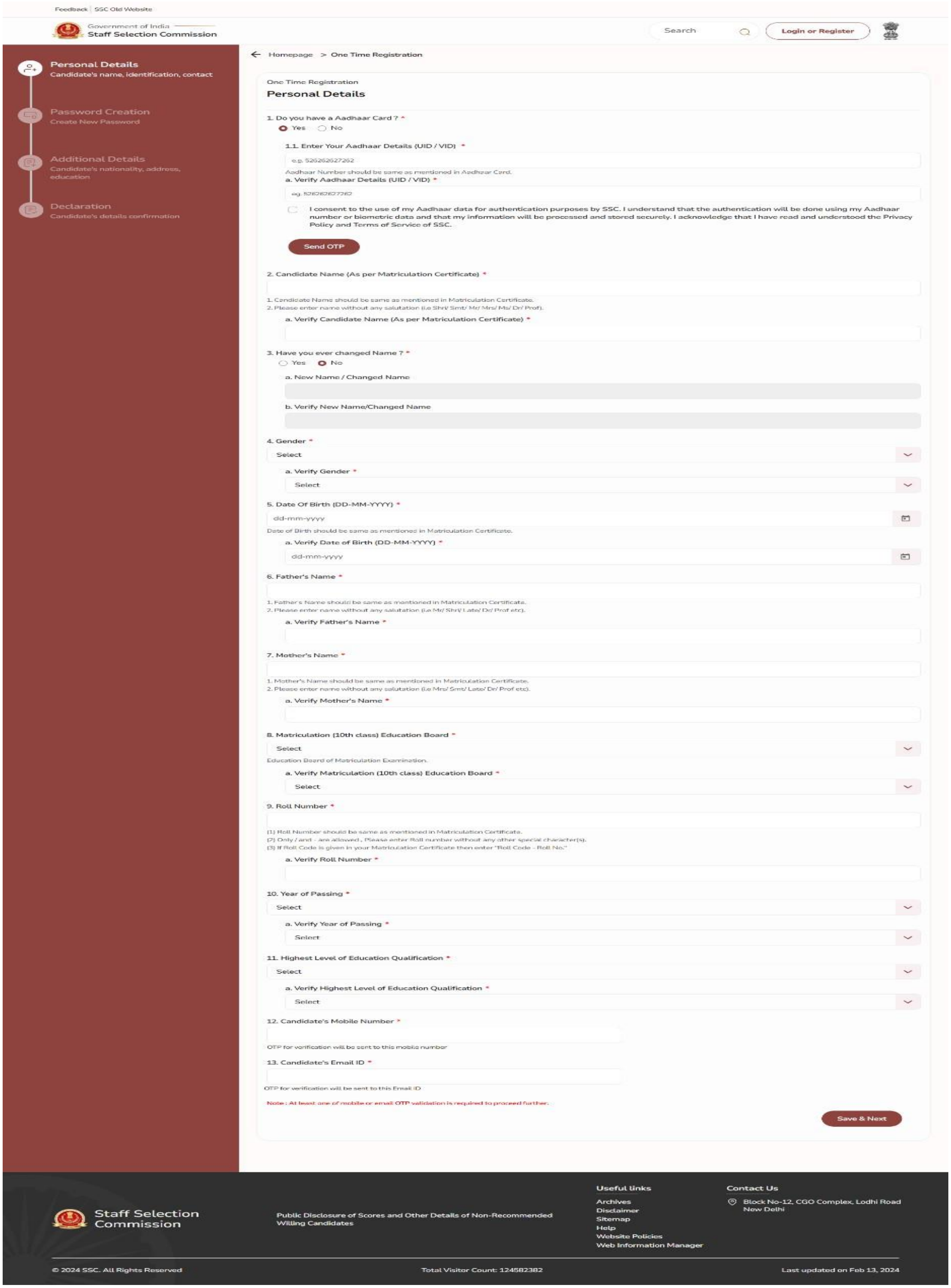

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.
a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search
Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-Iक) 5/8(

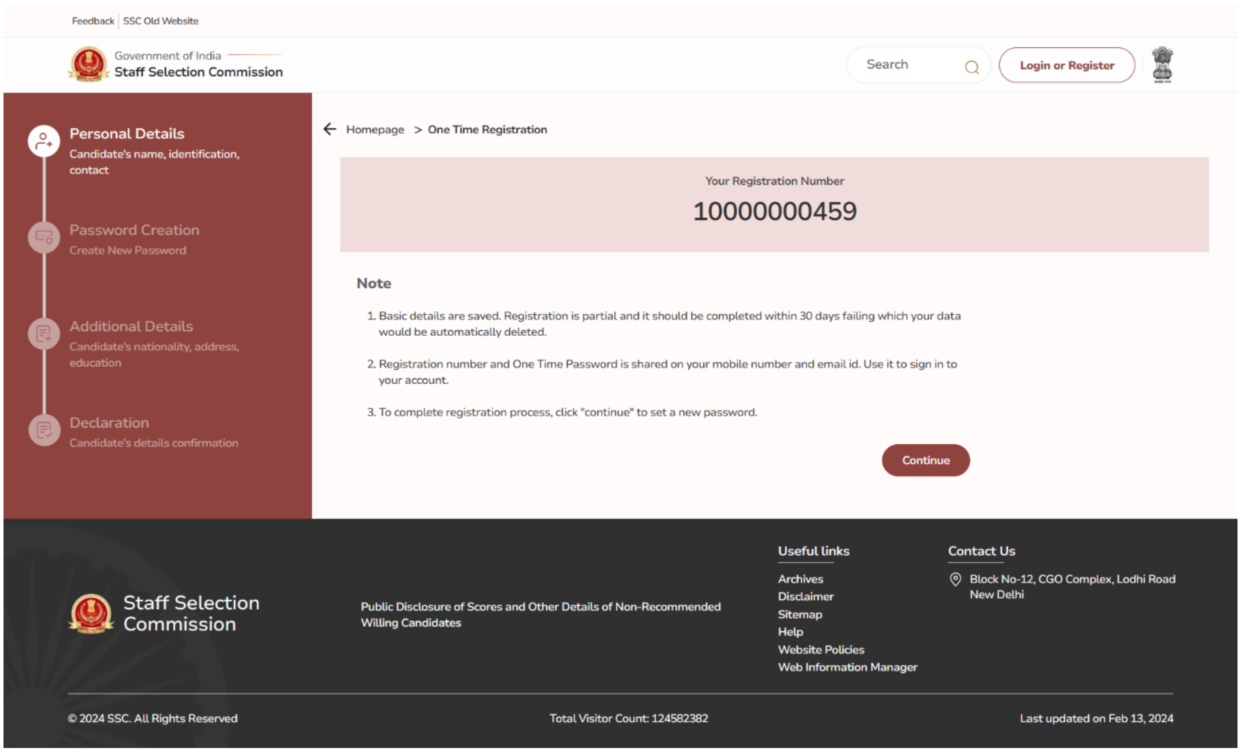
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
○ Yes ● No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
○ Yes ● No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved | Total Visitor Count: 124582382 | Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-Iक) 8/8(

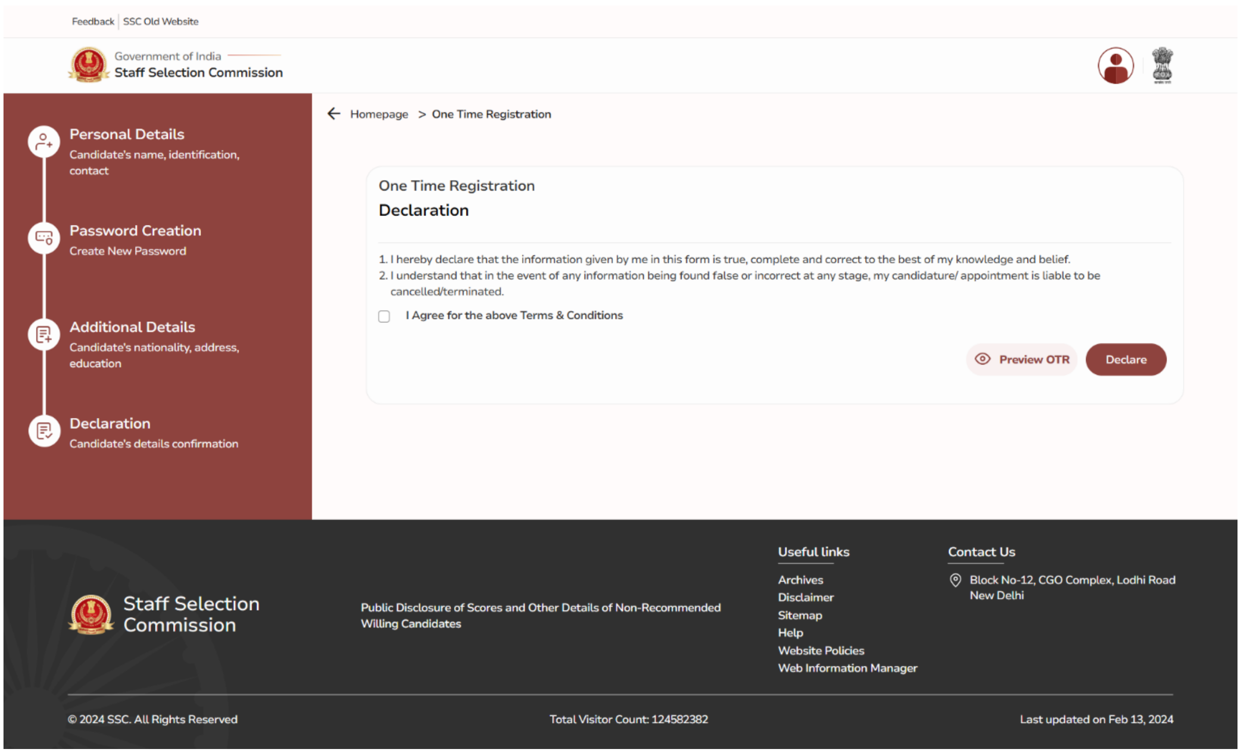

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Homepage > One Time Registration
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
One Time Registration
Declaration
1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree for the above Terms & Conditions
Preview OTR
Declare
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

<u>अनुबंध-II</u>

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश :-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित सामग्री/विवरण/डाटा तैयार रखें:

(क) एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **<u>अनुबंध-V</u>** में दिए गए हैं । यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त किए जा सकते । परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

(i). *अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।*

(ii). *फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।*

(iii). *अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।*

(iv). *यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।*

(v). *अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।*

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर(QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। आवेदन फोटो निर्देशानुसार न होने पर रद्द कर दिए जाएंगे । स्वीकृत नमूने **[अनुबंध-III (4/4)]** के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **[अनुबंध-III (4/4)]** में दिए गए हैं ।

(ख)जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले /अपठनीय हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे ।

तथापि, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपनी '**पंजीकरण संख्या'** और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. 'लाइव परीक्षा' टैब के अंतर्गत खंड 'Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।

4. क्रम सं. 1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।

5. क्रम सं. 19: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।

6. क्रम सं. 20: अर्हक शैक्षणिक योग्यता (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.11 (भूपूसै)), 7.1 एवं 7.2 के अनुसार) का विवरण दें ।

   (क) क्रम सं.- 20.1: अपनी शैक्षणिक अर्हता (EQ) दर्शाएं।
   (ख) क्रम सं.- 20.2: उत्तीर्ण होने का वर्ष दर्शाएं।
   (ग) क्रम सं.- 20.3: बोर्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दर्शाएं।
   (घ) क्रम सं.- 20.4: बोर्ड का नाम दर्शाएं।
   (ङ) क्रम सं.- 20.5: अनुक्रमांक संख्या दर्शाएं।
   (च) क्रम सं.- 20.6: प्रतिशत दर्शाएं (जिन अभ्यर्थियों के अंकपत्र पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए कोविड-19 या किसी अन्य कारण से प्रतिशत अंकित नहीं है, वे **'NA'** दर्ज कर सकते हैं)।
   (छ) क्रम सं.- 20.7: यदि लागू हो तो अपना सीजीपीए बताएं ।

7. क्रम संख्या 21: यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंतर्गत किसी जाति से संबंधित है तो 'Yes' का चयन करें । यह छूट केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है (विज्ञप्ति का **पैरा 6.2** देखें)।

8. क्रम संख्या 22: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (ESM) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए ।

   क. क्रम संख्या 22.1 - सशस्त्र बलों में प्रतिनियुक्ति की तिथि बताएं।

   ख. क्रम संख्या 22.2 - सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति /संभावित सेवामुक्ति की तिथि बताएं।

   ग. क्रम संख्या 22.3 - सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि बताएं।

घ. क्रम संख्या 22.4 - यदि आप भूतपूर्व सैनिक (ESM) के लिए आरक्षण का लाभ उठाकर पहले ही किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं, तो 'Yes' दर्शाएं (परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 5.3 देखें)।

9. क्रम सं. 23 : यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में विशेष कोटे के लिए पात्र हैं तो 'Yes' का चयन करें (परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 3.1 देखें)।
10. क्रम सं. 24 : यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 5.5 देखें)।
11. क्रम सं. 25 : यदि आप 'विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से अलग' महिला हैं तो 'Yes' का चयन करें।
12. क्रम सं. 26 : यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री है तो 'Yes' का चयन करें।
13. क्रम सं. 27 : यदि आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल में, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा किसी राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें।
14. क्रम सं. 27.1 : अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें।
15. क्रम सं. 27 : यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो 'Yes' का चयन करें।

(क) क्रम सं. 28.1 : आयु-छूट के उपयुक्त कोड का चयन करें(परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 5.1 देखें)।

16. क्रम सं. 29: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप देश भर में तीन परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों का चयन वरीयता क्रम में किया जाना चाहिए (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 11.1 का संदर्भ लें)।
17. क्रम सं. 30: यदि आप एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.7 का संदर्भ लें)।

    क्रम सं. 30.1: एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (जैसे एनसीसी प्रमाणपत्र के प्रकार) ।

18. क्रम सं. 31: यदि आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा / डिग्री है तो 'Yes' का चयन करें (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.8 का संदर्भ लें)।

    क्रम सं. 31.1: डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी/दर्जे (class) का नाम प्रदान करें।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें (हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश अनुबंध-III में दिए गए हैं):-

19. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बिना चश्मे/टोपी के अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करें:

    (क). अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।

    (ख). फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।

(ग). अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

(घ). यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

(ड़). अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

(च). किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें ली गई हैं, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(छ). फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

20. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें :-

क. स्वीकृत छवि आकार: जेपीजी /जेपीईजी प्रारूप में 10 केबी से 20 केबी तक।

ख. छवि का आयाम: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई)।

ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होने चाहिए।

ङ. स्वीकृत और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने **अनुबंध-III (2/4)** में दिए गए हैं।

21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “I agree” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

22. अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो ‘Edit/Modify’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।

23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।

25. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति ‘आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)’ के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। ।

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Online Application Form

Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the Notice of Examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself/ herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand/ sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his/ her signature in JPEG/ JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Form with blurred/ miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, Master Card, Maestro, or RuPay, Debit Card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586242

Last updated on Jun 13, 2025

क. अभ्यर्थी की जानकारी

1.1 व्यक्तिगत विवरण

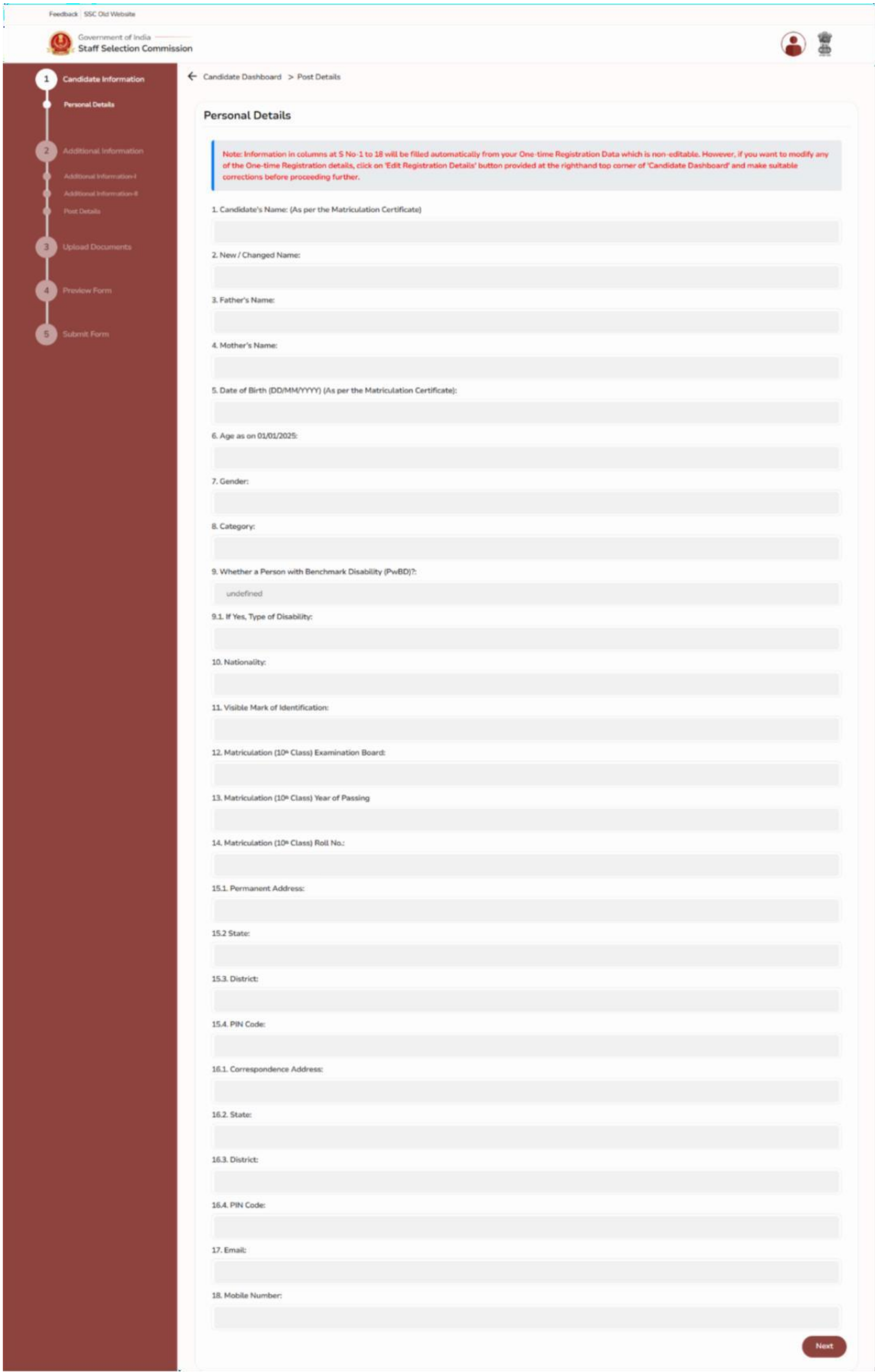
Feedback | SSC Old Website

Government of India

Staff Selection Commission

1 Candidate Information

Personal Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

Post Details

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/01/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

1.2 शैक्षिक विवरण:

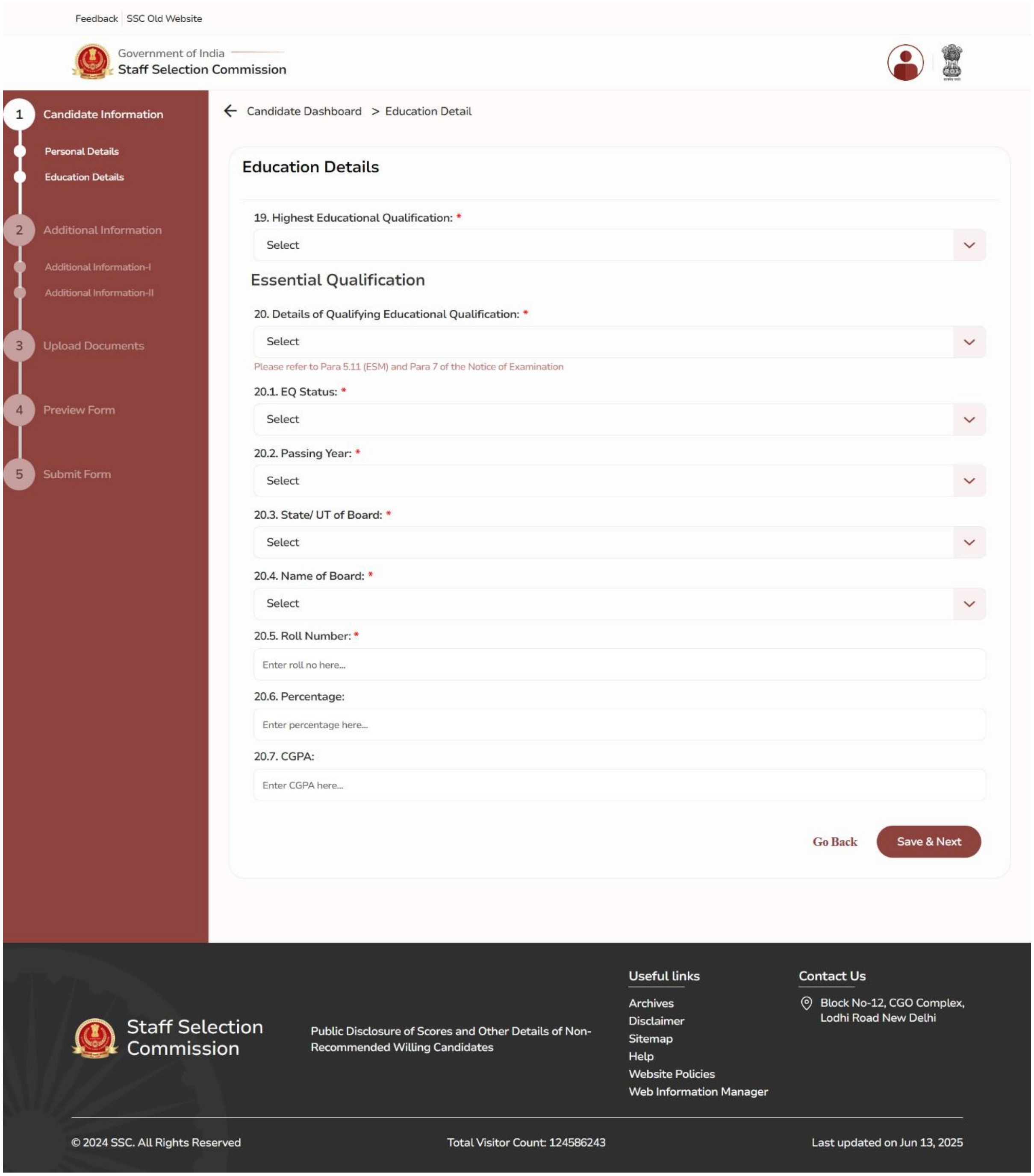
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *
Select

Essential Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *
Select
Please refer to Para 5.11 (ESM) and Para 7 of the Notice of Examination

20.1. EQ Status: *
Select

20.2. Passing Year: *
Select

20.3. State/ UT of Board: *
Select

20.4. Name of Board: *
Select

20.5. Roll Number: *
Enter roll no here...

20.6. Percentage:
Enter percentage here...

20.7. CGPA:
Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

ख.   <u>अतिरिक्त विवरण :</u>

2.1 अतिरिक्त विवरण-I:

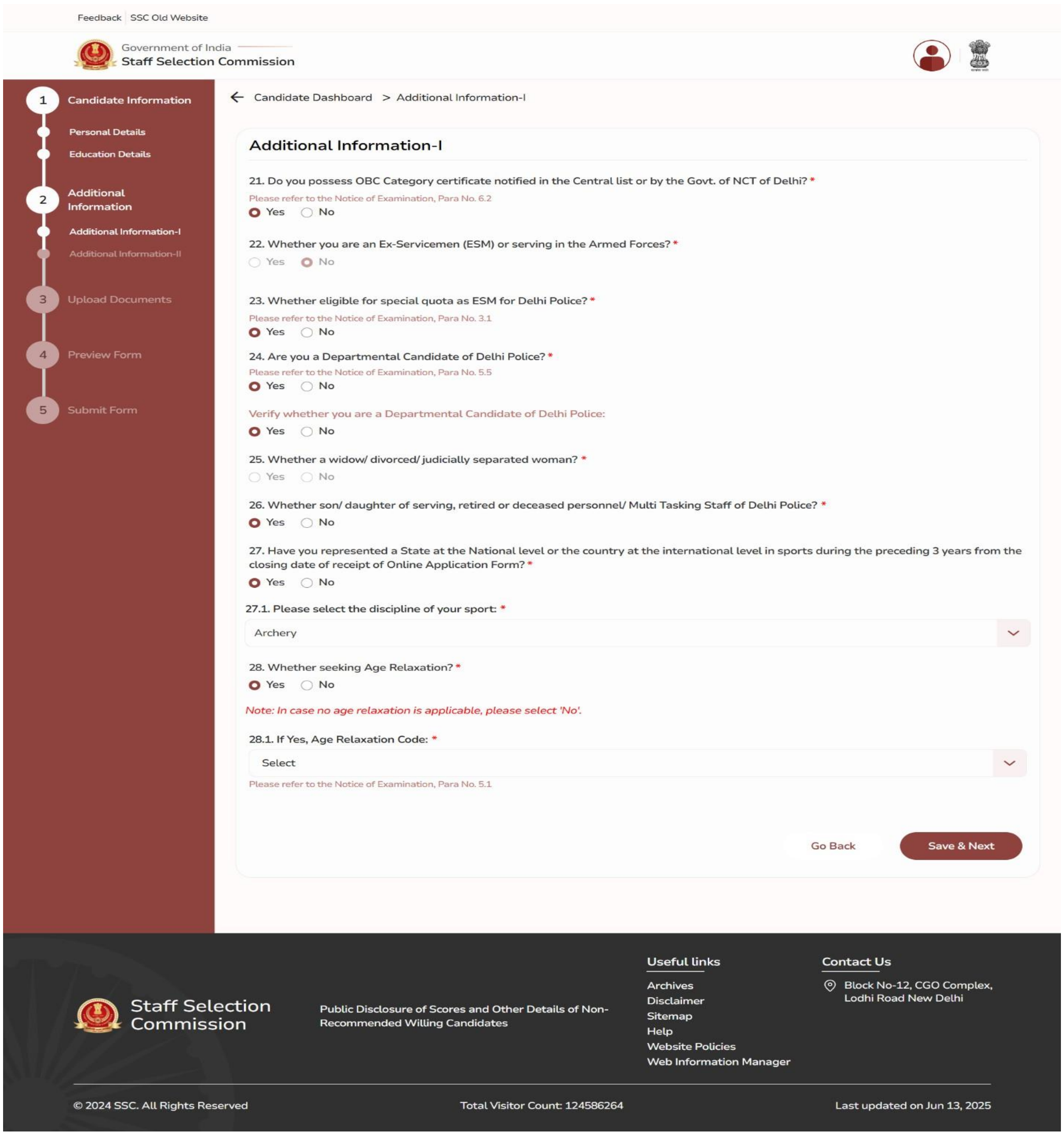

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Do you possess OBC Category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.2
Yes No

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *
Yes No

23. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.1
Yes No

24. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.5
Yes No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:
Yes No

25. Whether a widow/ divorced/ judicially separated woman? *
Yes No

26. Whether son/ daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi Tasking Staff of Delhi Police? *
Yes No

27. Have you represented a State at the National level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of Online Application Form? *
Yes No

27.1. Please select the discipline of your sport: *
Archery

28. Whether seeking Age Relaxation? *
Yes No

Note: In case no age relaxation is applicable, please select 'No'.

28.1. If Yes, Age Relaxation Code: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved   Total Visitor Count: 124586264   Last updated on Jun 13, 2025

2.2 अतिरिक्त विवरण-I:

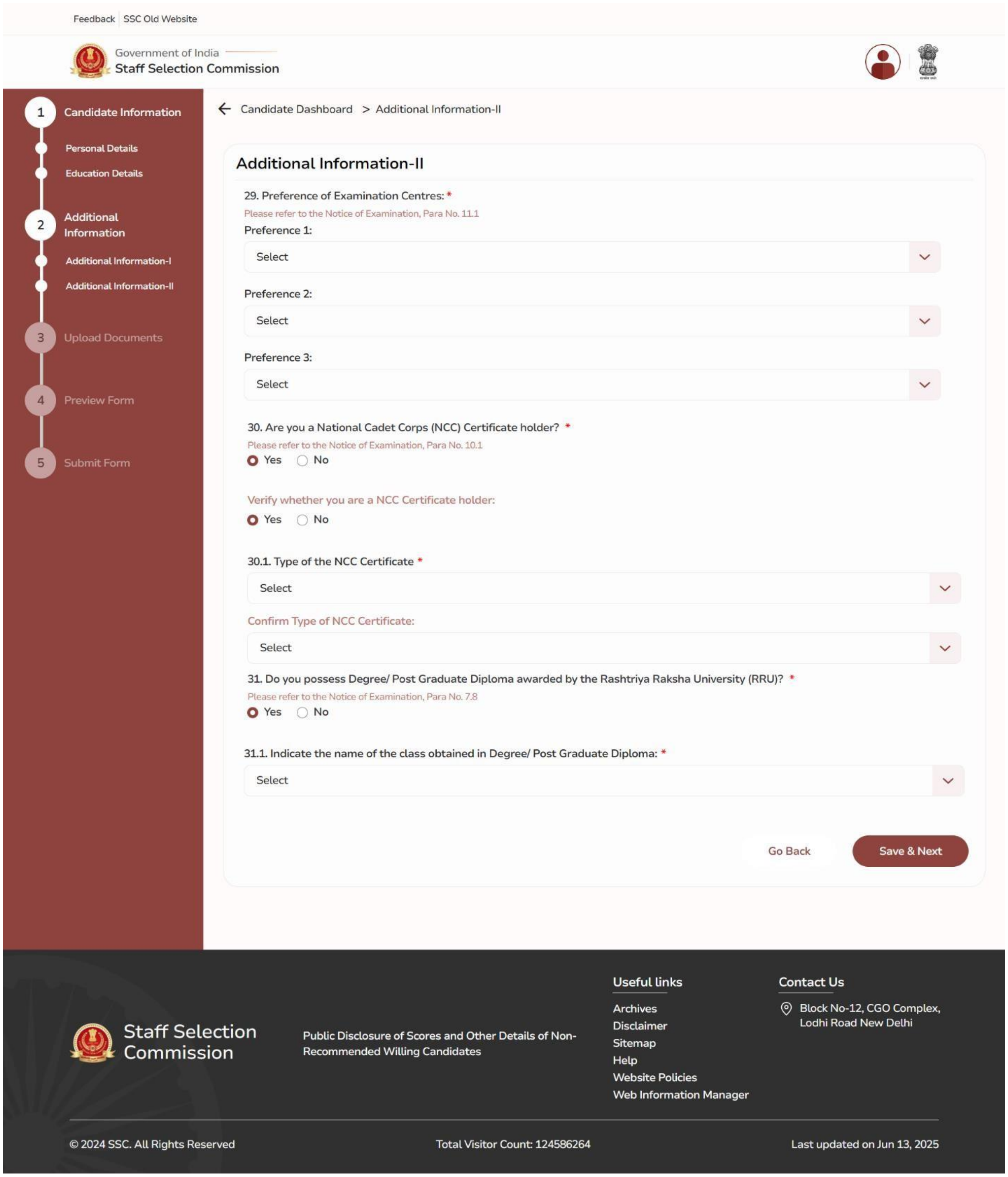

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details

2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

29. Preference of Examination Centres: *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1
Preference 1:
Select
Preference 2:
Select
Preference 3:
Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10.1
Yes No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:
Yes No

30.1. Type of the NCC Certificate *
Select
Confirm Type of NCC Certificate:
Select

31. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by the Rashtriya Raksha University (RRU)? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8
Yes No

31.1. Indicate the name of the class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *
Select

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124586264
Last updated on Jun 13, 2025

ग. <u>हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करना :</u>

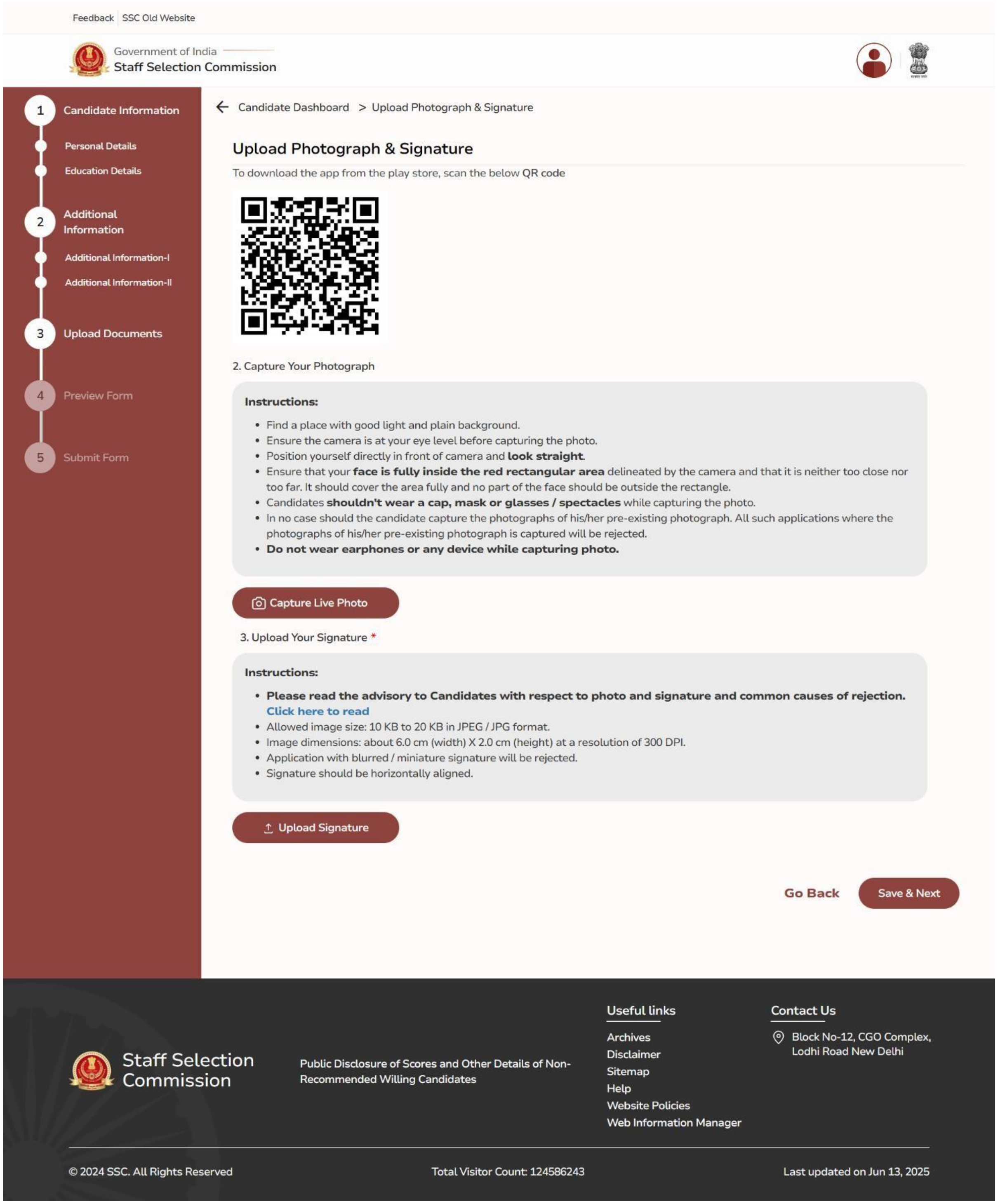

अनुबंध–III(1/4)

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval

2. Rejected

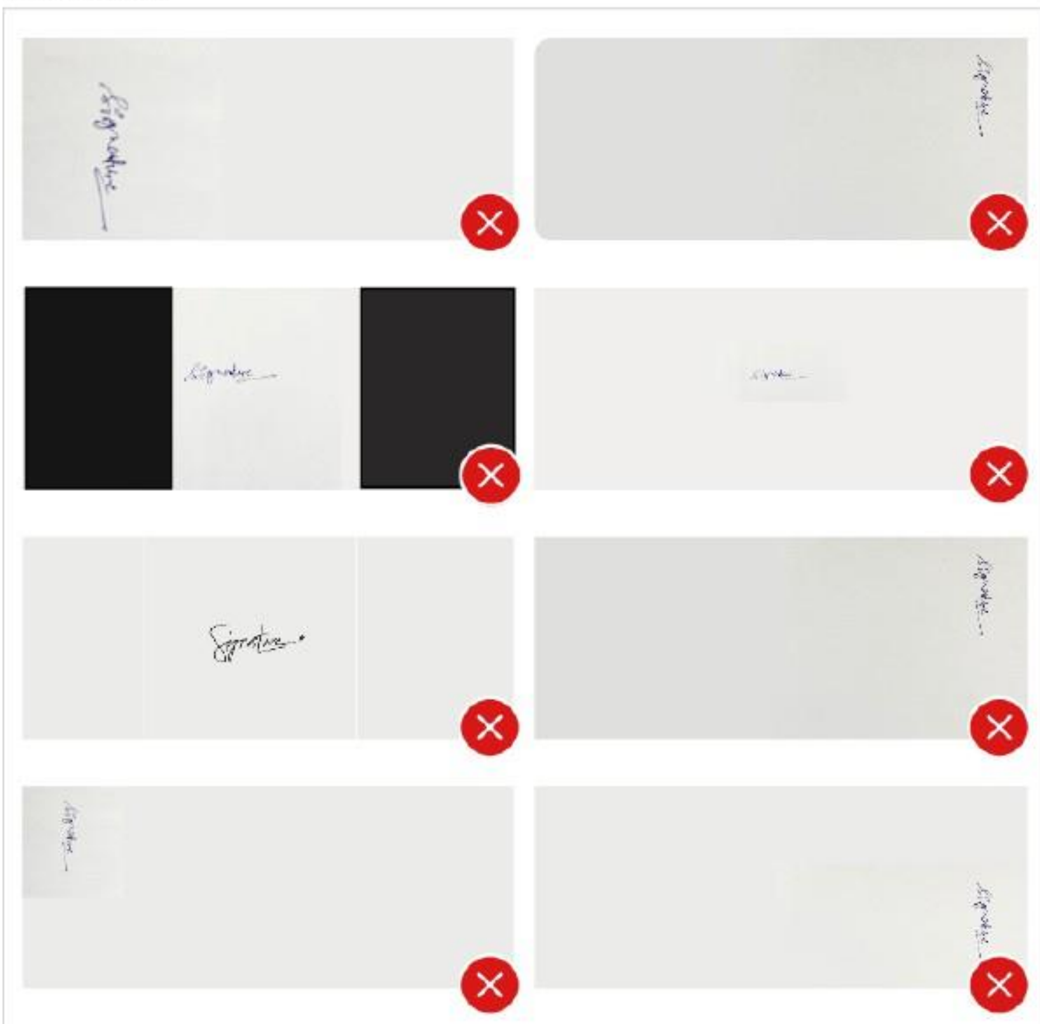

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval

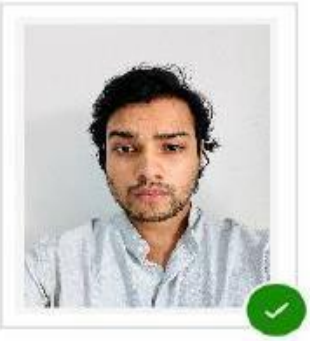

2. Rejected

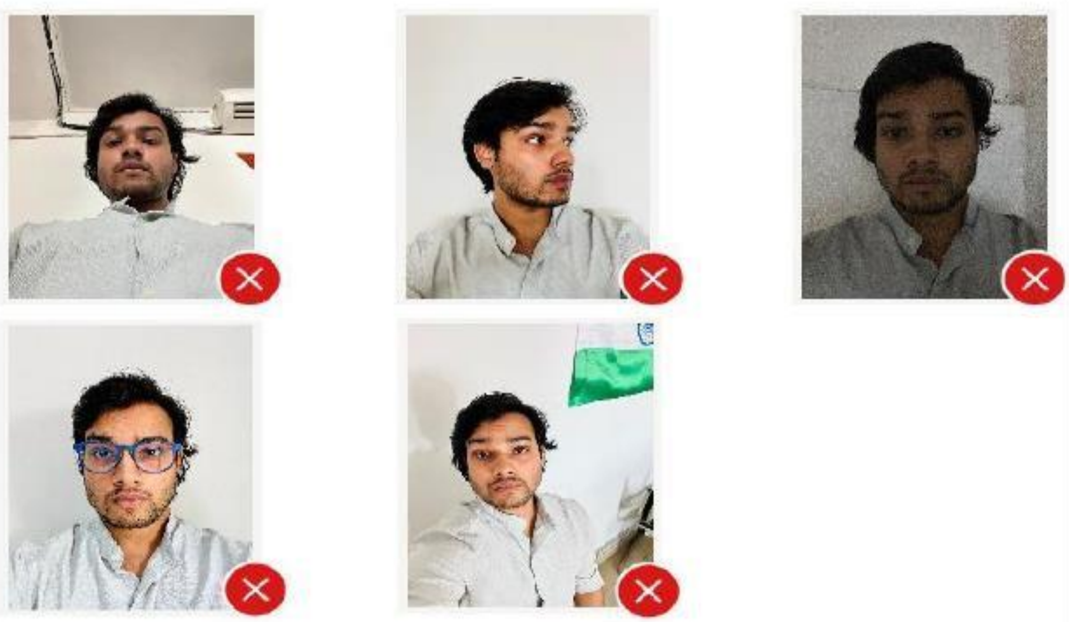

अनुबंध-IV(क)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह सूचित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी_______________ जो ___________(यूनिट/कार्यालय) में ________________(रैंक) के पद पर कार्यरत है, ने_________________(भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा दिनांक ____________ की सूचना सं. ______________ के तहत विज्ञापित ____________________ के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं एतद्द्वारा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____________ (नाम)________________(रैंक)______________ के संबंध में, निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूं:-

i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने हेतु, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन_______________(दिनांक) को _____________ वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। श्री/श्रीमती/कुमारी _____________सैन्य सेवा छोड़ने के समय __________वर्ष (शब्दों में) की सेवा पूरी कर लेंगे।

ii. उन्हें पदों पर चयन होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थानः   कमान अधिकारी

दिनांकः   (हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहरः

अनुबंध-IV(ख)

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले वचन-पत्र का प्रपत्र

मैं यह समझता/समझती हूं कि जिस भर्ती/परीक्षा से यह आवेदन संबंधित है, यदि उसके आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल और डाक सेवाओं में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए अनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 14.8.2014 के का.ज्ञा. सं..36034/1/2014-स्था.(रेज.) के अनुसार, सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों और जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है, उत्तरवर्ती नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती हूं, यदि मैंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार विवरण से संबंधित नियोक्ता को मुझे करना स्व-घोषणा चाहिए / वचन पत्र देना चाहिए।

अनुबंध–V

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ……………………………………………………………………, अनुक्रमांक ………………………………………………………
.... परीक्षा, 20….. के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ………………….
नाम: …………….
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: …………….
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: …………….
कार्यमुक्ति की तिथि: …………….
अंतिम इकाई / कोर: …………….
मोबाइल नंबर: …………….
ईमेल आईडी:.....................

अनुबंध-VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री _________________ निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@27
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ________ के पिता/माता श्री/श्रीमती ________ निवासी ________ग्राम/कस्बा* ________ जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो ________ दिनांक ________ द्वारा जारी राज्य / केंद्र प्रशासित क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ________ और /या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*________ जिला/संभाग* ________ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र ________ में रहता है।

हस्ताक्षर ________
**पदनाम________
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

---

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-VII

(अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________ सुपुत्र/सुपुत्री ______________ ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं__________________ दिनांक ________* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
श्री/श्रीमती/कु० ___________ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ____________ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के _________________ जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी-:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध – VIII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछ़डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ____________ दिनांक __________________

वर्ष .... के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ______________स्थायी निवासी ____________________गाँव/गली _____________ डाकघर ____________________ जिला ____________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ____________________ पिन कोड __________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी / उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/ उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ का संबंध ______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम..................................

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फो आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/ पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध-IX

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---पुत्र श्री---ग्राम---तहसील/तालुका---------------------------------------जिला---राज्य के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और राज्य/संघराज्य क्षेत्र असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थी।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, तथा दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडलों नामतः दार्जिलिंग,कलिम्पोंग और कुरसियोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी तथा इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-। (10) पंतापती वन-। (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-।। (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध-X

आयु-छूट के पात्र खेलों/ खेल के खिलाड़ी

1. तीरंदाजी
2. दंगल
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रियाथलोन
21. वोलीबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

<u>अनुबंध-XI</u>

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत के किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

पासपोर्ट आकार का फोटो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित

----------------राज्य संघ में

----------------के खेल में

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------------------- पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री--------- ----------------------, की जन्मतिथि-----------------------------निवासी------------------------------------- --(पूर्ण पता) ----------------------------------राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के------------------------------------- में दिनांक--------------------से ------------------------------------ तक आयोजित ------------------------------ खेल/प्रतियोगिता में ------------------------------------ राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा------------------------- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र---------------------------- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----------------------
दिनांक----------------------

हस्ताक्षर------------------------------
नाम----------------------------------
पदनाम------------------------------
राज्य संघ/परिसंघ का नाम---------------
पता----------------------
मुहर----------------------------

राज्य संघ/महासंघ का नाम_______________________________

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

अनुबंध-XII

अनुबंध-ग

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

पासपोर्ट आकार का फोटो जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सहित

----------------राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ

(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------------------- पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री-------------------------------, की जन्मतिथि------------------------------निवासी-- (पूर्ण पता)---------------------------------- प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के------------------------------------- में दिनांक -------------------- से ------------------------------------ तक आयोजित------------------------------ खेल/प्रतियोगिता में ------------------------------------ भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा------------------------- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र---------------------------- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----------------------

दिनांक----------------------

हस्ताक्षर-------------------------------

नाम-----------------------------------

पदनाम------------------------------

राज्य संघ/परिसंघ का नाम---------------

पता---------------------

मुहर-----------------------------

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

अनुबंध– **XIII**

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक या मल्टी-टास्किंग स्टाफ के अभिभावकता का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/ श्रीमती____________________(पुलिस कार्मिक/ एमटीएस का नाम) रैंक___________ रेंज/ कोंस्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या.___________जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ ____________से _________हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित पुत्री _______________________(नाम) दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:--------------

अनुबंध– XIV

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती___________________(पुलिस कार्मिक का नाम), रेंज/ कोंस्तेबूलरी/ बेल्ट संख्या.________और पीआईएस संख्या.____________दिल्ली पुलिस में दिनांक._______को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में___________दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) पुरुष/ महिला भर्ती कि परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि ये दिनांक_______को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपने/ अपनी सेवा के दौरान इन्हें..........बड़ी शास्ति और .... छोटी शास्ति दी गई हैं। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं हैं (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:--------------

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी'' का अर्थ है **ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की आखिरी तिथि** तक दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बगलर, मौंटेड कॉन्स्टेबल, डिस्पैच राईडर, ड्राईवर, डॉग-हैंडलर और मल्टी-टासकिंग स्टाफ के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा और अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	**कोड**
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक / 10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी.)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33

एम.बी.ए	34
अन्य	35

****